प्राक्कथन

भारत में सहकारिता आन्दोलन की उत्पत्ति एवं विकास किसी व्यवस्था या नीतिगत प्रयासों के अनुरूप न होकर एक जन आन्दोलन के रूप में हुआ है। सहकारिता आन्दोलन जिसका ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, इसके द्वारा विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन बिना सदस्यों की सक्रिय सहभागिता के सम्भव नहीं है।

सहकारिता के वर्तमान परिवेश की प्रक्रिया वर्ष 1904 में सहकारी साख अधिनियम पारित होने से प्रारम्भ हुई है। इसमें दो मत नहीं हो सकते हैं कि सहकारी संस्थाओं ने प्रदेश और देश में विकास की गति को तेज किया जिससे हरित क्रान्ति और श्वेत क्रान्ति ने अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज की। प्रारम्भ से आज तक विकसित व्यवस्थाओं एवं कार्य पद्धतियों के घनात्मक एवं ऋणात्मक वस्तुओं का समायोजन कर विचारक सहकारिता को मानव जाति के आर्थिक कल्याण का एक मात्र विकल्प ठहराते हैं। विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में सहकारी अनुभव की सफलता इस विचार की पुष्टि करती है।

हमारे जैसे समाज में जहाँ अज्ञानता, बेरोजगारी, गरीबी एवं विषमता व्याप्त हो, जहां व्यक्तिगत जीवन अभावपूर्ण, जीवन विहीन एवं समस्या प्रधान हो, सामूहिक एवं पारस्परिक सहायता ही सर्वधारण एवं उत्थान एवं प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं समतावादी समाज की स्थापना हेतु प्रतिबद्ध राष्ट्र के लिए लोकतांत्रिक आर्थिक पद्धति के रूप में सहकारिता सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। कदाचित मात्र इसी कारणवश अनेकों अवरोधोपरान्त भी सहकारिता को हमारे राष्ट्रीय आर्थिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

सहकारी समितियों में सदस्यों की सहभागिता को मौलिकता एवं अनिवार्यता का जामा पहनाने हेतु सदस्यों एवं सहकारों को जागरूक एवं सहकारी ज्ञान से अवगत कराना होगा।

इस दिशा में सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करनी होगी। यह शिक्षा और प्रशिक्षण पूर्ण रूप से सदस्यों की गतिविधियों पर आधारित होनी चाहिए ताकि इसका अधिकतम लाभ सहकारी समितियों की प्रबन्धकीय व्यवस्था को संचालित करने वाले सदस्यों के साथ लाभान्वित होने वाले सदस्यों को मिल सके। इस प्रकार किया गया प्रयास हमेशा ही सदस्यों को सक्रिय सहभागिता हेतु प्रोत्साहित करेगा एवं सहकारी समितियों की ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रियता को सुनिश्चित करेगा।

ग्रामीणों के हितों के लिये सहकारी समितियों का सशक्त होना बेहद जरूरी है। आर्थिक रूप से सशक्त सहकारी समितियाँ ही सदस्यों की सेवा कर सकती हैं। सहकारी आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य सहकारिता के माध्यम से प्रदेश का विकास करना, प्रदेश में कार्यरत सहकारी समितियों को बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों के रूप में विकसित करना तथा सहकारी ढाँचे का पुनर्गठन करना है।

सहकारिता आन्दोलन विशेष रूप से इस संदर्भ में प्रशंसनीय है कि प्रदेश में सहकारिता के आधार पर विकसित होने वाले क्षेत्र को और अधिक प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता दिनों दिन अनुभव की जा रही है। प्रदेश में सामाजिक विकास एवं उसके समुचित प्रचार–प्रसार के लिए सहकारिता का आधार न केवल मजबूत होना चाहिये बल्कि उसमें सामान्य जन की भागीदारी भी अधिकारिक होनी चाहिये। इसी दृष्टिकोण के आधार स्तम्भ घोषणाओं के संदर्भ में लोकप्रिय एवं जनप्रियता में अग्रणी प्रदेश के लगभग सभी मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शिता एवं जन कल्याण की योजनाओं को अमली जामा पहनाने हेतु

सहकारी समितियों के माध्यम से ही सफलता के सोपान तक पहुंचाया जा सकता है क्योंकि जनसामान्य की सहभागिता ही सहकारिता का मूल मन्त्र है।

सहकारी अर्थव्यवस्था के अर्जन, संचालन और वितरण में प्रजातान्त्रिक मूल्यों का समावेश होता है। इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों की प्रभावशाली एवं सशक्त भूमिका है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध की विषय वस्तु भी सहकारिता और प्रशासकीय संरचनाओं के अन्तः सम्बन्धों को केन्द्र बिन्दु बनाकर यह अध्ययन सम्पन्न किया गया है।

आभार

कोई भी शोध प्रबन्ध एकांकी सम्न्न नहीं किया जा सकता है, विशेषकर अनुभावनात्मक शोध में तो यह सम्भव नहीं है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के सफलतापूर्वक सम्पन्न होने की दिशा में विभिन्न संस्थाओं, विद्वानों, मित्रों का अबोध सहयोग प्राप्त हुआ है। मेरे लिए उन सभी के प्रति आभार व्यक्त कर पाना सम्भव नहीं है लेकिन इन सबका में कृतज्ञ हूँ फिर भी कुछ सम्मानित, आदरणीय गुरूजनों के प्रति शब्द करने का प्रयास किया है।

इसी क्रम में सर्वप्रथम में अपनी शोध निर्देशिका प्रोफेसर अर्चना शर्मा, विभागाध्यक्षा, राजनीति विज्ञान विभाग, कला संकायाध्यक्षा, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ का ऋणी हूँ। जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से यथोष्ट समय देकर विभिन्न विचारों एवं सुझावों से मुझे दयाभान्वित किया। जिन्होंने शोध समस्या के चयन से लेकर शोध प्रबन्ध को अन्तिम रूप प्रदान करने तक अपने महत्वपूर्ण निर्देशन के साथ अपार स्नेह मुझे दिया और इनका अमूल्य समय मेरे लिए निकाला। शब्दों में गुरू ऋण कदापि चुकाया नहीं जा सकता। मैं जीवन भर हृदय से श्रद्धेय गुरूजी का आभारी रहूँगा। क्योंकि उनके पग–पग पर दिये गये सुझाव और प्रेरणा से ही मैं इस मंजिल तक पहुँच सका हूँ।

मेरी आकांक्षाएं अधूरी रह जाती है अगर मेरे माता–पिता और मेरे भाई, बहन का इस शोध अध्ययन में भरपूर सहयोग और प्यार न मिला होता। इस शोध प्रबन्ध को पूर्ण करने में उप–प्रधानाचार्य श्री ब्रहम सिंह नागर कोपरेटिव मैनेजमेन्ट इंस्टीट्यूट, पल्लवपुरम मेरठ का अपार योगदान है, जो भुलाया नहीं जा सकता।

जब शोधार्थी अत्यधिक तनाव से गुजर रहा था तब डॉ0 आई0एन0 तिवारी, पूर्व विभागाध्यक्ष, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, परिसर ने मुझे दिशा व

मार्गदर्शन देकर रास्ता आसान किया जिनका मैं ऋणी हूँ और यह ऋण चुकाया नहीं जा सकता।

शोध अध्ययन के समय मेरी व्यवस्तता और तनाव की स्थिति में मेरी पत्नी सीमा ने एक मित्र की भूमिका निभाकर इसमें जो अमूल्य योगदान किया है उसको भुलाया नहीं जा सकता।

इसके अतिरिक्त स्मृति पटल पर अंकित न होने वाली जिन अन्य प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रेरणाओं ने मेरा उत्साहवर्द्धन किया है उन सबके प्रति भी मैं अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। इस शोध प्रबन्ध को लिखने में जिन श्रद्धेय विद्वानों, लेखकों की पुस्तकों से मुझे दिशा–निर्देशन प्राप्त हुआ है तथा जिन पत्र पत्रिकाओं से समय–समय पर सहायता मिली है, उनके सम्पादकों तथा लेखकों के प्रति भी मैं हृदय से आभारी हूँ।

अच्छे मित्र किसी भी भाग्यवान की मूल्यवान पूंजी होते हैं। जिसका मुझे कभी अभाव नहीं रहा अपने विभाग के सभी सहयोगियों एवं अभिन्न मित्रों व सीनियर विशेषतः चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय पूर्व महामंत्री डॉ0 जयवीर राणा, डॉ0 अनिल कुमार, डॉ0 आलोक कुमार, डॉ0 नरेन्द्र मोरल, सतीश कुमार, सत्यवीर, कुलदीप पंवार, प्रदीप पंवार, प्रेम सिंह व दिनेश कुमार, रिंकू एवं डॉ0 अशोक कुमार का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग एवं शुभकामनाओं के लिए मैं उनका आभारी हूँ।

(प्रमोद कुमार नागर)